UPAD010057452026

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज।

प्रकीर्ण दीवानी (अन्तरण) वाद संख्या– 339/2026

मोहम्मद अशफाक आदि बनाम श्रीमती रूबी बानो उर्फ रूबी बेगम आदि

दिनांक/18.07.2026

प्रस्तुत प्रकीर्ण दीवानी (अन्तरण) वाद पर प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है और पत्रावली का अवलोकन किया जा चुका है।

2. प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थना पत्र 4सी मय शपथ पत्र 5सी प्रार्थीगण की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि भवन संख्या ई–19/7, जी0टी0बी0 नगर, करेली, प्रयागराज से सम्बन्धित 1. दीवानी मूलवाद संख्या 178 सन् 2009, श्रीमती रूबी बेगम व एक अन्य बनाम मोहम्मद मुश्ताक व एक अन्य, दीवानी मूलवाद संख्या 1397 सन् 2010, मोहम्मद अशफाक बनाम श्रीमती कैसरी बेगम आदि, 3. दीवानी मूलवाद संख्या 493 सन् 2023, जहीरउद्दीन व एक अन्य बनाम तथा 4. मूलवाद संख्या 12 सन् 2023, कासिम बनाम श्रीमती रूबी बानो उर्फ रूबी बेगम व एक अन्य से उत्पन्न 5. प्रकीर्ण वाद संख्या 4 सन् 2025, मोहम्मद अशफाक व एक अन्य बनाम कासिम आदि, 6. इजरा वाद संख्या 3 सन् 2023, कासिम बनाम श्रीमती रूबी बानो उर्फ रूबी बेगम व एक अन्य, इजरा वाद संख्या 3 सन् 2023, कासिम बनाम श्रीमती रूबी बानो उर्फ रूबी बेगम व एक अन्य से उत्पन्न 7. प्रकीर्ण वाद संख्या 2 सन् 2025, मोहम्मद अशफाक व एक अन्य बनाम कासिम आदि, न्यायालय अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज में विचाराधीन हैं। 1. मूलवाद संख्या 178 सन् 2009 श्रीमती रूबी बेगम व एक अन्य बनाम मोहम्मद मुश्ताक व एक अन्य, 2. मूलवाद संख्या 1397 सन् 2010 मोहम्मद अशफाक बनाम श्रीमती कैसरी बेगम आदि तथा 3. मूलवाद संख्या 493 सन् 2023 जहीरउद्दीन व एक अन्य बनाम मोहम्मद अशफाक को आदेश दिनांक 12.03.2026 के द्वासरा एकीकृत कर दिया गया है और मूलवाद संख्या 178 सन् 2009 श्रीमती रूबी बेगम व एक अन्य बनाम मोहम्मद मुश्ताक व एक अन्य को अग्रणी वाद बनाया गया है तथा उक्त सभी मूलवाद संख्या सम्बन्धित प्रकीर्ण वाद व इजरा वाद की पत्रावलियों को मूलवाद संख्या 178 सन् 2009 के साथ पेश करने का आदेश दिया गया है। अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज की न्यायालय खाली है। मूलवाद संख्या 178 सन् 2009, श्रीमती रूबी बेगम व एक अन्य बनाम मोहम्मद मुश्ताक व एक अन्य को शीघ्र निस्तारित किये जाने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 02.02.201 को दिया है। अतः उपरोक्त सभी मुकदमों को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की गयी है।

3. प्रभारी अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज की आख्यानुसार अन्तरण प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित 1. मूल पत्रावली संख्या– 178/2009 रूबी बेगम आदि बनाम मुश्ताक अली आदि, 2. मूल पत्रावली संख्या– 1397/2010, मो0 अशफाक आदि बनाम कैसरी बेगम आदि, 3. मूल पत्रावली संख्या 493/2023 जहीरउद्दीन आदि बनाम मो0 अशफाक आदि, 4.

इजरा पत्रावली संख्या– 03/2023 कासिम आदि बनाम रूबी बेगम आदि, 5. प्रकीर्ण पत्रावली संख्या– 15/2024 मो0 अशफाक आदि बनाम जहीरउद्दीन आदि, 6. प्रकीण पत्रावली संख्या– 04/2025 मो0 अशफाक आदि बनाम कासिम आदि एवं 7. प्रकीर्ण पत्रावली संख्या– 02/2025 मो0 अशफाक आदि बनाम कासिम आदि की पत्रावलियां उक्त न्यायालय में लम्बित हैं। वर्तमान में न्यायालय अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज रिक्त है।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण अन्तर्गत अनुच्छेद 227 संख्या 237 सन् 2011, श्रीमती रूबी एवं अन्य बनाम सिविल जज (एस0डी0) एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकित 02.02.2011 द्वारा मूलवाद संख्या 178 सन् 2009, श्रीमती रूबी बेगम बनाम मुश्ताक को विधि अनुसार गुण–दोष के आधार पर शीघ्र निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया है। चूँकि न्यायालय अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज के पीठासीन अधिकारी काफी दिनों से माननीय उच्च न्यायालय से सम्बद्ध होना बताये गये हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. प्रार्थना पत्र 4सी स्वीकार किया जाता है।

2. अपर सिविल जज (व0श्रे0), कक्ष संख्या–14, प्रयागराज के न्यायालय में विचाराधीन 1. मूल पत्रावली संख्या– 178/2009 रूबी बेगम आदि बनाम मुश्ताक अली आदि, 2. मूल पत्रावली संख्या– 1397/2010, मो0 अशफाक आदि बनाम कैसरी बेगम आदि, 3. मूल पत्रावली संख्या 493/2023 जहीरउद्दीन आदि बनाम मो0 अशफाक आदि, 4. इजरा पत्रावली संख्या– 03/2023 कासिम आदि बनाम रूबी बेगम आदि, 5. प्रकीर्ण पत्रावली संख्या– 15/2024 मो0 अशफाक आदि बनाम जहीरउद्दीन आदि, 6. प्रकीण पत्रावली संख्या– 04/2025 मो0 अशफाक आदि बनाम कासिम आदि एवं 7. प्रकीर्ण पत्रावली संख्या– 02/2025 मो0 अशफाक आदि बनाम कासिम आदि की पत्रावलियां उक्त न्यायालय से वापस लेकर अपर सिविल जज (व0श्रे0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0–11, प्रयागराज के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित की जाती हैं।

3. आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालयों को प्रेषित की जाये।

4. प्रकीर्ण दीवानी (अन्तरण) वाद तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

(सत्य प्रकाश त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
प्रयागराज।
JO Code-UP5687

दिनांक/18.07.2026

<u>आरके</u>